पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 44/2022

1. विक्रमसिंह पुत्र जगदीशप्रसाद जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. जगदीश पुत्र रामपत जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
2. अनीता पुत्री जगदीशप्रसाद जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रविन्द्र मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा खाता सं0 94/104 के खसरा सं0 114 की 3.339है0 खसरा सं0 45/1 की 2.423है0 खसरा सं0 58 की 4.097है0 खसरा सं0 79 की 1.442है0 कुल 11.306है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 जगदीश के नाम 5/21 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जगदीश का नाम कलमजन किया जाकर वादी विक्रमसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.2.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 44/2022

1. विक्रमसिंह पुत्र जगदीशप्रसाद जाति जाट निवासी मोटसरा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. जगदीश पुत्र रामपत जाति जाट निवासी मोटसरा त0 भादरा।
2. अनीता पुत्री जगदीशप्रसाद जाति जाट निवासी मोटसरा त0 भादरा।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री उम्मेद मोटसरा: प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 21.2.2022

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मोटसरा खाता सं0 94/104 के खसरा सं0 114 की 3.339है0 खसरा सं0 45/1 की 2.428है0 खसरा सं0 58 की 4.097है0 खसरा सं0 79 की 1.442है0 कुल 11.306है0 काश्तनी खातेदारी मे प्रतिवादी सं0 1 जगदीश के नाम 5/21 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जो पहले वादी के दादा रामपत की खातेदारी हुआ करती थी। रामपत के देहान्त के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी स0 1 जगदीश ने कर्ता खानदान होने के चलते इन्द्राज अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीका जन्म से हक एव अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यहं बनाय मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एव प्रतिवादी सं 1 ता 2 के द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजो के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली मे साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी मे पीडब्ल्यु 1 विक्रमसिंह पुत्र जगदीशप्रसाद के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य मे सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी मोठसरा के खाता सं0 94/104 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि रोही अनूपशहर खाता स0 115/92 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि रोही अनूपशहर खाता सं0 460/425 प्रदर्श 3, दाखलाई जमाबंदी रोही मोठसरा खाता सं0 101/104 संवत 2077–80 प्रदर्श 4, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का

1|P...

Scanned with CamScanner

जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है।अतः मुताबिक राजीनामाव वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मोठसरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी मोठसरा के खाता सं0 94/104 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि रोही अनूपशहर खाता सं0 115/92 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि रोही अनूपशहर खाता सं0 460/425 प्रदर्श 3, सालालाई जमाबंदी रोही मोठसरां खाता सं0 101/104 संवत 2077–80 प्रदर्श 4, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 5 सदस्य प्रमाण के अनुसार जगदीश के एक पुत्र विक्रमसिंह व एक पुत्री अनीता तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 4 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 जगदीश के नाम रोही अनूपशहर के खाता सं0 115/92 के खसरा सं0 165/2 की 0.759है0 व रोही अनूपशहर के खाता सं0 460/425 के खसरा सं0 57, 942 कुल 18.9700है0 में 759/9485हिस्सा यथावत रखी जावे। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा खाता सं0 94/104 के खसरा सं0 114 की 3.339है0 खसरा सं0 45/1 की 2.428है0 खसरा सं0 58 की 4.097है0 खसरा सं0 79 की 1.442है0 कुल 11.306है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 जगदीश के नाम 5/21 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जगदीश का नाम कलमजन किया जाकर वादी विक्रमसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.2.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श[illegible]) सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.H.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़